ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

जल अदालत

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय गुरूवार को ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के सेक्टरों की "**जल अदालत**" लगाकर उस सेक्टर की पानी के बिल से सम्बन्धित समस्याओं का निस्तारण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। इस हेतु प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय गुरूवार को प्रातः 10:30 से दोपहर 12:30 बजे तक "**जल अदालत**" का आयोजन करते हुए सेक्टरों में पानी के बिल से सम्बन्धित समस्याओं का समाधान किया जायेगा तथा इसका आयोजन प्राधिकरण कार्यालय के भूतल पर स्थित हॉल में किया जा रहा है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में **जल अदालत** के रोस्टर का विवरण निम्नवत् है :-

क्र0 सं0	सेक्टर का नाम	दिनांक
1	व्यवसायिक, आई0टी0, संस्थागत एवं औद्योगिक इकाईयों के समस्त आवंटी।	15.04.2021
2	आवासीय, बिल्डर्स एवं ग्रुप हाउसिंग के समस्त आवंटी।	06.05.2021
3	व्यवसायिक, आई0टी0, संस्थागत एवं औद्योगिक इकाईयों के समस्त आवंटी।	20.05.2021
4	आवासीय, बिल्डर्स एवं ग्रुप हाउसिंग के समस्त आवंटी।	03.06.2021

अतः ग्रेटर नोएडा के आवंटियों से अपेक्षा की जाती है कि रोस्टर के अनुसार जल अदालत में उक्त नियत तिथियों को निर्धारित समय पर उपस्थित होकर अपनी समस्या से अवगत कराये। सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी उक्त रोस्टर के अनुसार सुसंगत सूचनाओं के साथ जल अदालत में निर्धारित समय पर उपस्थित रहना सुनिश्चित करें।

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी